राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी–चेतन देवड़ा आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 02/2017

दायर दिनांकः–05.04.2017

निर्णय दिनांकः–27.03.2019

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय, डूंगरपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. मैसर्स सागवाडा इण्डेन गैस सर्विस सागवाडा, जिला डूंगरपुर
2. श्री किशोर कुमार पिता सोमाजी मकवाना प्रोपाईटर फर्म मैसर्स सागवाडा इण्डेन गैस सर्विस सागवाडा, जिला डूंगरपुर
3. श्री दिनेश भाई गुप्ता पिता श्री बाबुलाल गुप्ता निवासी गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर हाल निवासी मैसर्स सागवाडा इण्डेन गैस सर्विस, सागवाडा जिला डूंगरपुर

विपक्षीगण.....

उपस्थितः– 1. प्रर्वतन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर – प्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6–ए के तहत

–: निर्णय :–

यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से विरूद्व विपक्षी के इस आशय की प्रस्तुत की है कि विपक्षी सागवाडा गैस एजेन्सी द्वारा गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओ को निर्धारित वजन से कम मात्रा में गैस दी जाने से गैस सिलेण्डर मय गैस वजन 44.75 किग्रा. जप्त सरकार किये गये है तथा प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(A) के तहत राजसात कराने हेतु पेश किया है।

प्रकरण का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है कि उपखण्ड क्षेत्र सागवाडा हेतु मैसर्स सागवाडा गैस एजेन्सी आई.ओ.सी. की अधिकृत फर्म होकर अनुज्ञा पत्र 20/96 द्वारा उपभोक्तओं को घरेलु गैस सिलेण्डर की आपूर्ति एवं भण्डारनण के लिऐ अधिकृत है। उपखण्ड क्षेत्र सागवाडा की ग्राम पंचायत सामलिया में विपक्षी फर्म द्वारा उपभोक्तओं को निर्धारित वजन से कम घरेलु गैस आपूर्ति की शिकायत की जांच प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर द्वारा उपभोक्ता मोतबिरान एवं गवाहन के रूबरू दिनांक 14.08.2015 को की गई। प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय डूंगरपुर द्वारा मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डरों का वजन विपक्षी फर्म के प्रतिनिधियों द्वारा कराया गया। शिकायतकर्ता निम्नांकित उपभोक्ताओं के घरेलु गैस सिलेण्डरों के वजन की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई। (वजन किलोग्राम में)

क्र.सं.	नम उपभोक्ता	एसआर नं.	ग्रोस वेट	टीयर वेट	नेट वेट	कम गैस की मात्रा
1.	श्री अशोक/लीलाराम सेवक	480162	26.8	15.5	11.3	2.9
2.	श्री दिनेश/भूरालाल माली	045808	27.650	15.6	12.05	2.15
3.	श्री जयेन्द्र/लालशंकर त्रिवेदी	75208	24.9	16.3	8.6	5.6
4.	श्री मनोज कुमार/नानुराम जोशी	127222	28.4	15.6	12.8	1.4

Scanned by CamScanner

घरेलु गैस वितरक विपक्षी फर्म द्वारा उपभोक्ताओं को निर्धारित वजन 14.200 किग्रा के अनुसार गैस की आपूर्ति की जानी चाहिये। विपक्षी द्वारा उपभोक्ताओं को निर्धारित वजन 14.200 किग्रा से कम वजन में गैस दी जाना पाया गया। वक्त जांच प्रवर्तन अधिकारी उपर्युक्त उपभोक्ताओं को निर्धारित वजन से कम गैस आपूर्ति के 4 सिलेण्डर मय गैस के जप्त सरकार किये जाकर मैसर्स दूर्गा इण्डेन गैस सर्विस डूंगरपुर को सुपुर्द किये गये। प्रकरण में आई.ओ. सी. अधिकृत विपक्षी द्वारा उपर्युक्त उपभोक्ताओं को निर्धारित वजन से कम गैस आपूर्ति की गई है जो विपक्षी की दुषित मानसिकता को दर्शाता है, जिससे एलपीजी (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीबयूशन) आदेश 2000 के खण्ड 5 तथा राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 10 तथा इसके तहत जारी अनुज्ञापत्र की शर्त 9,11(3) की स्पष्ट अवहेलना की गई है। प्रार्थी द्वारा उक्त चारों जप्त शुदा घरेलु गैस सिलेण्डर मय गैस वजन 44.75 किलोग्राम को राजसात करने का अनुरोध किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी द्वारा दिनांक 02.12.2015 को उक्त प्रकरण में प्रतिरक्षण करने हेतु श्री मनी बामनिया को अधिकृत किया जाने का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। विपक्षी की और से जबाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली है।

विपक्षी ने अपने जबाव में कथन किया कि पवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 15.08.2015 को गैस गौदाम का निरीक्षण करने पर किसी प्रकार की अनिमितता नहीं पाई गई है। विपक्षी गैस एजेन्सी को आई.ओ.सी. कम्पनी प्लान्ट से गैस सिलेण्डर सप्लाई की जाती है तथा प्राप्त गैस सिलेण्डरों की उसी स्थिति में उपभोक्ताओं को वितरित किये जाते है। विपक्षी की गैस एजेन्सी 1996 से सागवाडा क्षेत्र में कार्यरत होकर कम मात्रा में गैस आपूर्ति किये जाने की कोई शिकायत नहीं रही है। उक्त उपभोक्ताओं का कम घरेलु गैस आपूर्ति की शिकायत थी तो गैस सिलेण्डर प्रदायगी के समय तथ्यों को बता दिया होता तो विपक्षी द्वारा दुसरे गैस सिलेण्डर उपलब्ध करा दिये जाते। शिकायतकर्त्ता उपभोक्तओं को दिनांक 14.08.2015 को गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति की गई तथा कम गैस होने की शिकायत दिनांक 15.08.2015 को की गई है, विपक्षी ने जबाव में यह भी कथन किया है कि सील शुदा सिलेण्डर लिकेज होने या उपभोक्ता द्वारा कम्पनी सील से छेड़–छाड़ कर वापस लगा देने से भी गैस का वजन कम होना सम्भव है। विपक्षी द्वारा सील शुदा गैस सिलेण्डरों में किसी प्रकार की छेड़–छाड कर उपभोक्ताओं को वितरित नहीं की है।

गैस प्लान्ट से ही गैस सिलेण्डरों में कम गैस आपूर्ति होना अथवा लिकेज होने से एवं उपभोक्ता द्वारा सील के साथ छेड़–छाड करने से सिलेण्डरों में निर्धारित मात्रा से कम गैस पाई गई है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निरस्त कर जप्त शुदा गैस सिलेण्डर को मुक्त करने का विपक्षी ने अनुरोध किया है।

विपक्षी प्रकरण में बावजुद सूचना के दिनांक 27.02.2018 को गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

Scanned by CamScanner

पत्रावली में प्रार्थी के विभागीय पेरोकार की एक पक्षीय बहस समायत की गई। विभागीय पेरोकार द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों की पुनरावृति की गयी। विभागीय पेरोकार ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों के अनुरूप जप्त शुदा गैस सिलेण्डर मय 44.75 किग्रा गैस को राजसात करने हेतु अनुरोध किया गया है।

हमारे द्वारा विभागीय पेरोकार की बहस एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाव पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि विपक्षी उपखण्ड क्षेत्र सागवाडा हेतु आई.ओ.सी. की अधिकृत एजेन्सी होकर जरिये प्राधिकार पत्र 20/96 द्वारा उपभोक्तओं को घरेलु गैस सिलेण्डर की आपूर्ति एवं भण्डारण हेतु अधिकृत है। विपक्षी एजेन्सी द्वारा उपभोक्ताओं को घरेलु गैस 14.200 किग्रा निर्धारित वजन की आपूर्ति की जानी चाहिये। विपक्षी एजेन्सी का जबाव मे तथ्य अंकित किया है, तद्नुसार उपभोक्ताओं को गैस सिलेण्डर आपूर्ति के वक्त सिलेण्डर के सिल, लिकेज नहीं होना एवं वजन का सत्यापन कर आपूर्ति लेनी चाहिये तथा सिलेण्डर मे कम मात्रा में गैस होने पर दुसरा उपयुक्त सिलेण्डर प्राप्त करने हेतु वितरक को तुरन्त बताना चाहिये। आपूर्ति के समय गैस सिलेण्डर कम्पनी प्लान्ट द्वारा सील वन्द विपक्षी को उपलब्ध कराये जाते है जिससे विपक्षी एजेन्सी का दायित्व है कि वह सीलवन्द सिलेण्डर की पूर्ण जांच कर निर्धारित वजन का गैस सिलेण्डर की उपभोक्ता को आपूर्ति करे। विपक्षी द्वारा जबाव में यह भी तथ्य अंकित किया है कि शिकायतकर्त्ताओं को गैस सिलेण्डर दिनांक 14.08.2015 को आपूर्ति की गई तथा प्रार्थी द्वारा सिलेण्डर मय गैस के वजन की जांच दिनांक 15.08.2015 को की गई है, जिससे उपभोक्ताहओ का सिलेण्डर लिकेज होने अथवा कम्पनी सील से छेड़–छाड कर वापस लगा देने से निर्धारित मात्रा से गैस कम हुई होगी। विपक्षी का उक्त कथन विश्वसनीय नहीं है, चूंकि कम्पनी द्वारा गैस सिलेण्डरों के सील के साथ छेड़–छाड करने के उपरान्त आम उपभोक्ता द्वारा गैस सिलेण्डर पर कम्पनी अनुरूप दोबारा उसी अनुसार सिलेण्डर सीलबंद नहीं कर सकता है। जिससे कम्पनी के सील उपरान्त गैस सिलेण्डर लिकेज होने के तथ्य की पुष्टि नहीं होती है। विपक्षी गैस एजेन्सी का दायित्व है कि वह कम्पनी प्लान्ट से प्राप्त सिलेण्डरों के लिकेज नहीं होने तथा निर्धारित वजन के गैस सिलेण्डर की पुष्टि करे तथा उपभोक्ताओं का बिना लिकेज व निर्धारित वजन के सिलेण्डरों की आपूर्ति की जाना गैस एजेन्सी का दायित्व है। विपक्षी द्वारा गैस मय सिलेण्डर के वजन की पुष्टि किये बिना उपभोक्ताओं को वितरण करना उचित नहीं हैं। आम उपभोक्ता सीलवंद गैस सिलेण्डर के साथ छेड़–छाड कर पुनः कम्पनी सील अनुसार सिलेण्डर को सील युक्त स्थिति बहाल करने में असमर्थ है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होकर जप्तशुदा 4 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 44.75 कि.ग्रा. गैस को राजसात किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर मैसर्स सागवाडा इण्डेन गैस सर्विस सागवाडा द्वारा अनाधिकृत रूप से उपभोक्ताओं को निर्धारित वजन से कम गैस उपलब्ध कराने से 4 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 44.75 कि.ग्रा. गैस को

Scanned by CamScanner

राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर उक्त 4 घरेलु गैस सिलेण्डर मय 44.75 कि.ग्रा. सुपूर्दकर्ता से प्राप्त कर गैस सिलेण्डर नियुक्ता कम्पनी में अमानत के रूप में रसीदन सुपूर्द करें तथा एल.पी.जी. गैस 44.75 कि.ग्रा. की दर से अधिकतम राशि नियुक्ता कम्पनी से प्राप्त करें। उक्त गैस 44.75 कि.ग्रा. से प्राप्त राशि अमानत के रूप में जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर में रखी जावें। यह आदेश उच्चतर न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन रहेगा। जिला रसद अधिकारी डूंगरपुर को निर्णय की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद नंबर से कम की जाकर फैसल में शुमार हो।

(चेतन देवड़ा)
जिला कलक्टर,
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner